रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 1974/चैत्र 9, 1896

No. 73] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 1974/CHAITRA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th March 1974

No. F. 2(6)-NS/74(iii).—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F. 3(7)-NS/70, dated the 28th February, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office (Time Deposits) (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1974.

2. In the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970, for the Tables below rule 11, the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE A (for deposits made before the 1st April, 1974)

Period	Rate of interest per annum
1 Year	6 per cent.
2 Years	7 per cent.
3 Years	7 per cent.
5 Years	7 1/4 per cent.

TABLE B (for deposits made on or after the 1st April, 1974)

Period	Rate of interest per annum
1 Year	6 3/4 per cent.
2 Years	7 1/2 per cent.
3 Years	7 1/2 per cent.
5 Years	8 per cent.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक-कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, तारीख 30 मार्च, 1974

सं० फा० 2(6)—एन एस/74 (iii).—राष्ट्रपति, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक—कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० फा० 3(7)—एन एस/70, तारीख 28 फरवरी, 1970 के साथ प्रकाशित डाकघर (सावधि जमा) नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम डाकघर (सावधि जमा) (संशोधन) नियम, 1974 है ।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 1974 को प्रवृत्त होंगे ।

2. डाकघर (सावधि जमा) नियम, 1970 में, नियम 11 के नीचे की सारणियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"सारणी क (1 अप्रैल, 1974 के पूर्व किए गए निक्षेपों के लिये)

अवधि	प्रति वर्ष ब्याज की दर
1. वर्ष	6 प्रतिशत
2 वर्ष	7 प्रतिशत
3 वर्ष	7 प्रतिशत
5 वर्ष	7¼ प्रतिशत

"सारणी ख (1 अप्रैल, 1974 को या उसके पश्चात् किये गए निक्षेपों के लिए)

अवधि	प्रति वर्ष ब्याज की दर
1 वर्ष	6–3/4 प्रतिशत
2 वर्ष	7–1/2 प्रतिशत
3 वर्ष	7–1/2 प्रतिशत
5 वर्ष	8 प्रतिशत"

No. F. 2(6)-NS/74(vii).—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F.3(8)-NS/70, dated the 28th February, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office (Recurring Deposits) (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1974.

2. In the Post Office (Recurring Deposits Rules, 1970, for the existing rule 9, the following rule shall be substituted, namely:—

"9. *Amount payable.*—The amount payable inclusive of interest at the end of five years on an account of Rs. 5 denomination shall be Rs. 360. Proportionate amounts shall be payable on accounts in denominations

of multiples of Rs. 5. In respect of accounts discontinued before the expiry of the full period and in respect of accounts opened before the 1st April, 1974 but maturing after the said date, the amount payable at the end of the period inclusive of interest shall be such as may be notified by the Government."

सं० फा० 2(6)—एन एस/74 (vii) :—राष्ट्रपति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक-कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० फा० 3(8)—एन एस/70, तारीख 28 फरवरी, 1970 के साथ प्रकाशित डाकघर (आवर्ती जमा) नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम डाकघर (आवर्ती जमा) (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 1974 को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर (आवर्ती जमा) नियम, 1970 में, विद्यमान नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"9 देय रकम:—5 रु० अभिदान के खाते पर पांच वर्ष की समाप्ति पर ब्याज सम्मिलित करके देय रकम 360 रु० होगी। 5 रु० के गुणितों के अभिदान में के खातों पर देय रकम आनुपातिक होगी। पूरी अवधि के अवसान के पूर्व बन्द कर दिए गए खातों की बाबत और 1 अप्रैल, 1974 के पूर्व खोले गए किन्तु उक्त तारीख के पश्चात् परिपक्व होने वाले खातों की बाबत, अवधि की समाप्ति पर ब्याज सम्मिलित करके देय रकम वह होगी जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।"

No. F. 2(6)-NS/74(viii).—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F. 3(40)-NS/58, dated the 19th December, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1974.

2. In the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 8A, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(5) Accounts opened before the 1st April, 1974, but maturing after the said date shall, in addition to the amount specified in these rules, be entitled to such amounts of bonus as may be notified by the Government."

3. After rule 8-D of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"8-E. Amounts repayable on accounts opened on or after the 1st April, 1974—The amounts payable inclusive of interest at the end of the term in a 10-Year account for each denomination of deposits shall be as specified in Table I-G annexed to these rules. In the event of the accounts being discontinued before the expiry of the full period such proportionate amounts as may be notified by the Government shall only be payable at the end of the period."

4. After Table I-F annexed to the said rules, the following Table shall be inserted, namely:—

TABLE I-G

(*See* rule 8E)

Denominatoin	Maturity Value
Rs.	Rs.
5	785
10	1,570
20	3,140
50	7,850
100	15,700
200	31,400
500	78,500

The maturity value for accounts of other denominations specified in rule 5 shall be in proportion to maturity values set out above."

B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

सं० फा० 2(6)—एन एस/74 (Viii).—राष्ट्रपति, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक-कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० फा० 3(40)—एन एस)/58, तारीख 19 दिसम्बर, 1958 के साथ प्रकाशित डाकघर बचत बैंक (आकलित सावधि जमा) नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1 (1) इन नियमों का नाम डाकघर बचत बैंक (आकलित सावधिक जमा) (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 1974 को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर बचत बैंक (आकलित सावधि जमा) नियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8-क में, उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(5) 1 अप्रैल, 1974 के पूर्व खोले गए किन्तु उक्त तारीख के पश्चात् परिपक्व होने वाले खाते, इन नियमों में विनिर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त, बोनस की ऐसी रकम के लिये हकदार होंगे जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।"

3 उक्त नियमों के नियम 8-घ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा' अर्थात:—

"8-ङ 1 अप्रैल, 1974 को या उसके पश्चात् खोले गए खातों पर प्रतिसंदेय रकम-निक्षेपों के प्रत्येक अभिधान के लिए 10 वर्षीय खाते में अवधि की समाप्ति पर ब्याज सम्मिलित करके संदेय राशि वह होगी जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध सारणी I-छ में विनिर्दिष्ट की गई है। पूरी अवधि की समाप्ति के पूर्व खाते बन्द कर देने की दशा में केवल ऐसी आनुपातिक रकम जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अवधि की पर संदेय होगी।"

4. उक्त नियमों से उपाबद्ध I-च सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित सारणी अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

सारणी I-छ

(नियम 8-ङ देखिए)

अभिधान	परिपक्वता मूल्य
1	2
रु०	रु०
5	785
10	1,570
20	3,140

1	2
50	7,850
100 . . .	15,700
200	31,400
500	78,500

नियम 5 में विनिर्दिष्ट अन्य अभिधानों के खातों के लिए परिपक्वता मूल्य, ऊपर दिए गए परिपक्वता मूल्यों के अनुपात में होंगे ।

बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1974